



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1268/अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 09/02/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बहत्तरवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 17.02.2023 को अपराह्न 03.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.01.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
(पृष्ठ क्र 01 से 08 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.01.2023 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

टीप: प्रतिवेदन संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. डॉ. एच.डी. दीवान, तकनीकी अधिकारी, भू-विज्ञान अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 13,00,885.00 (रुपए तेरह लाख आठ सौ पच्चासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: डॉ. एच.डी. दीवान, तकनीकी अधिकारी, भू-विज्ञान अध्ययनशाला का दिनांक 31.01.2023 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 13,00,885.00 (रुपए तेरह लाख आठ सौ पच्चासी मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,58,586.00 (रुपए आठ लाख अठावन हजार पाँच सौ छियासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग का दिनांक 31.01.2023 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,58,586.00 (रुपए आठ लाख अठावन हजार पाँच सौ छियासी मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. अवकाश नियमों के विपरीत आदेश तथा एक ही तथ्य के लिए तीन दण्ड से दंडित करने विषयक अपील अभ्यावेदन- डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान के संबंध में विचार करना।

टीप: कार्यालयीन टीप संलग्न।

(पृष्ठ क्र. 09 से 10)

6. डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि (62 से 65 वर्ष करने) के संबंध में विचार करना।

टीप: कार्यालयीन टीप संलग्न।

(पृष्ठ क्र. 11)

कंप्यूटर साइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. फर्म IT Application, No. 53, Block 04, Akash Nagar, Avanti Vihar, Raipur के द्वारा फायरवॉल डिवाइस क्रय पश्चात् प्रस्तुत देयक राशि रु. 27,84,029=00 (रुपए सत्ताईस लाख चौरासी हजार उनतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय के लिए फायरवॉल डिवाइस क्रय हेतु निविदा सूचना क्र. 351/Dev/2022 Raipur, Date 17/08/2022 जारी किया गया था। निविदा में न्यूनतम दर के आधार पर फर्म IT Application, No. 53, Block 04, Akash Nagar, Avanti Vihar, Raipur को क्रय आदेश क्र. 01/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 02.01.2023 जारी किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा फायरवॉल डिवाइस आपूर्ति कर इंस्टालेशन करने के पश्चात् देयक क्र. 238 दिनांक 21.01.2023 के द्वारा रु. 27,84,029=00 (रुपए सत्ताईस लाख चौरासी हजार उनतीस मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः संबंधित फर्म को C-VI-Other S.o.S. 6(i) Networking/Website etc. में प्रावधानित मद से भुगतान करने के लिए रु. 27,84,029=00 (रुपए सत्ताईस लाख चौरासी हजार उनतीस मात्र) स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

गणित अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. गणित अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: गणित अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री जिसका क्रय मूल्य रु. 15,00,127=00 (रुपए पंद्रह लाख एक सौ सत्ताइस मात्र) है। सामग्रियों के अपलेखन हेतु विभागीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 13.10.2022 एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 19.10.2022 द्वारा किए गए अनुशंसा अनुरूप माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

भू-विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. भू-विज्ञान अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: भू-विज्ञान अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री जिसका क्रय मूल्य रु. 7,67,431=00 (रुपए सात लाख सड़सठ हजार चार सौ इकत्तीस मात्र) है। सामग्रियों के अपलेखन हेतु विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 19.10.2022 द्वारा किए गए अनुशंसा अनुरूप माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

भौतिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. भौतिकी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: भौतिकी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री जिसका क्रय मूल्य रु. 13,85,625=00 (रुपए तेरह लाख पच्चासी हजार छः सौ पच्चीस मात्र) है। सामग्रियों के अपलेखन हेतु विभागीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 10.12.2020 एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 19.10.2022 द्वारा किए गए अनुशंसा अनुरूप माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री जिसका क्रय मूल्य रु. 17,53,668=00 (रुपए सत्रह लाख तिरपन हजार छः सौ अड़सठ मात्र) है। सामग्रियों के अपलेखन हेतु विभागीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 14.10.2022 एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 19.10.2022 द्वारा किए गए अनुशंसा अनुरूप माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

यूसिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. यूसिक विभाग के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: यूसिक विभाग के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री जिसका क्रय मूल्य रु. 05,09,554=00 (रुपए पाँच लाख नौ हजार पाँच सौ चौब्वन मात्र) है। सामग्रियों के अपलेखन हेतु विभागीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 22.12.2021 एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 19.10.2022 द्वारा किए गए अनुशंसा अनुरूप माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. जैविकी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: जैविकी अध्ययनशाला के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री जिसका क्रय मूल्य रु. 54,89,450=00 (रुपए चौवन लाख नवासी हजार चार सौ पचास मात्र) है। सामग्रियों के अपलेखन हेतु विभागीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 16.01.2019 एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 19.10.2022 द्वारा किए गए अनुशंसा अनुरूप माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री अपलेखन के लिए विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के पुराने अनुपयोगी (कबाड़) सामग्री जिसका क्रय मूल्य रु. 16,43,005=00 (रुपए सोलह लाख तिरालीस हजार पाँच मात्र) है। सामग्रियों के अपलेखन हेतु विभागीय अपलेखन समिति एवं केंद्रीय अपलेखन समिति की बैठक दिनांक 19.10.2022 द्वारा किए गए अनुशंसा अनुरूप माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

15. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति के सदस्य की नियुक्ति के संबंध में विचार करना।
टीप : ग्रंथालय समिति के रेगुलेशन 29 के बिंदु क्रमांक 1- III के अधीन कार्यपरिषद् सदस्य में से दो सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।
पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति के कार्यपरिषद् श्रेणी से दो पद रिक्त हो गया है, जिस पर नियुक्ति किया जाना है। नियुक्ति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।
टीप : छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अध्यादेश क्रमांक 5 की धारा 20 की उपधारा 6 (Committee to be appointed by the Executive Council every year) के अनुसार अनुचित साधन समिति हेतु कार्यपरिषद् सदस्यों में से एक सदस्य मनोनयन किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. शांतिनिकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाटा, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।
टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
18. श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।
टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
19. विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर में विभागाध्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।
टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
20. पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, रायपुर को शिक्षा विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
टीप : शिक्षा विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 19.01.2023 के निर्णयानुसार पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, रायपुर को शिक्षा विषय में शोध-केंद्र की मान्यता अस्थाई रूप से 3 वर्ष के लिए प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक-107 की कंडिका-08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
21. ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला-रायपुर को शिक्षा विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
टीप : शिक्षा विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 19.01.2023 के निर्णयानुसार ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला-रायपुर को शिक्षा विषय में शोध-केंद्र की मान्यता अस्थाई रूप से 03 वर्ष के लिए प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक-107 की कंडिका-08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

22. संत गुरु घासीदास शास. महाविद्यालय, कुरुद को हिंदी विषय में अस्थाई शोध केंद्र की मान्यता के स्थान पर स्थाई शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.01.2023 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय कार्यपरिषद् द्वारा लिए गए निर्णयानुसार महाविद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

महाविद्यालय को पूर्व में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2018 के निर्णयानुसार अस्थाई रूप से 02 वर्ष के लिए शोध केंद्र की मान्यता प्रदान की गई है। (संलग्न पत्र क्रमांक 7331/अका./शोध/2018 दिनांक 12.10.2018) (पृष्ठ कं. 12)

महाविद्यालय का पुनः निरीक्षण कराया गया तथा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर शोध उपाधि समिति दिनांक 15.12.2022 द्वारा शोध केंद्र की स्थाई मान्यता हेतु संस्तुति की गई है।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. सिविल, जलप्रदाय, सेनेटरी एवं विद्युतीय मरम्मत कार्यों हेतु कार्य अनुबंध की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: (1) भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 01.02.2022 विषय क्रमांक-3 में राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की आमंत्रित निविदा के संबंध में पुनर्निविदा आमंत्रित करने अनुशंसा किया गया था, माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 पूरक विषय सूची क्रमांक-09 में अनुमोदन किया गया था।

(2) सिविल, जलप्रदाय, एवं सेनेटरी कार्य हेतु छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से तथा विद्युतीय कार्य हेतु दिनांक 01 जून, 2020 से प्रभावशील एस.ओ.आर. के आधार पर आमंत्रित खुली निविदा में निम्नानुसार निविदा दर को केंद्रीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 26.12.2022 की अनुशंसा पर माननीय कुलपति द्वारा कार्य अनुबंध करने की स्वीकृति कार्यपरिषद् की ओर से प्रदान किया गया है।

| क्र. | कार्य का नाम | न्यूनतम निविदाकर का नाम | निविदा दर | अनुबंध राशि |
|------|------------------|--|---|-----------------|
| 01 | सिविल मरम्मत | द वेदर मेन, 31/98, पेंशन बाड़ा, रायपुर | @18% (अठारह प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम | रु. 20,50,000/- |
| 02 | जलप्रदाय मरम्मत | श्री ट्रेडर्स, मेन रोड, अमीनपारा, पुरानी बस्ती, रायपुर | @27.60% (सत्ताईस दशमलव छः शुन्य प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम | रु. 18,10,000/- |
| 03 | सेनेटरी मरम्मत | स्वास्तिक ट्रेडर्स, शाप नं. -4, दीनदयाल आवासीय काम्प्लेक्स, रायपुर | @18.25% (अठारह दशमलव दो पाँच प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम | रु. 20,43,750/- |
| 04 | विद्युतीय मरम्मत | प्रमोद कुमार कौशल, 212, सुन्दर नगर, रायपुर | @39.99% (उनचालिस दशमलव नौ नौ प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम | रु. 15,00,250/- |

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

24. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,

G. Patel
10/12/23


कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1269 / अका. / का.प / 2023

रायपुर, दिनांक 09/02/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


उप-कुलसचिव (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 952/अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 09/01/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'इकहत्तरवीं' बैठक गुरुवार, दिनांक 05.01.2023 को अपराह्न 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति -अध्यक्ष

| | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1. डॉ. एस.के. प्रसाद | - सदस्य | 10. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का | - सदस्य |
| 2. डॉ. सौम्या नैय्यर | - सदस्य | 11. डॉ. अमिताभ पाण्डेय | - सदस्य |
| 3. डॉ. मधुलिका अग्रवाल | - सदस्य | 12. डॉ. एम.एल. नायक | - सदस्य |
| 4. डॉ. व्यास दुबे | - सदस्य | 13. श्री सोनाऊ राम नेताम | - सदस्य |
| 5. डॉ. शैलेन्द्र सराफ | - सदस्य | 14. श्री सत्यनारायण शर्मा | - सदस्य |
| 6. डॉ. के.एन. शर्मा | - सदस्य | 15. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव | - सदस्य |
| 7. डॉ. ममता शर्मा | - सदस्य | 16. श्री डमरूधर पुजारी | - सदस्य |
| 8. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स | - सदस्य | 17. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह | - सदस्य |
| 9. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | - सदस्य | | |

डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, प्रभारी कुलसचिव -सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. डॉ. ए.के. पति, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 27,43,522.00 (रुपए सत्ताईस लाख तिरालिस हजार पाँच सौ बाईस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
4. डॉ. रोहित कुमार प्रधान, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 23,10,736.00 (रुपए तेईस लाख दस हजार सात सौ छत्तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
5. डॉ. रोहित कुमार प्रधान, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 21,87,584.00 (रुपए इक्कीस लाख सतासी हजार पाँच सौ चौरासी मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. श्री रावेन्द्र प्रसाद शुक्ला, टाईमकीपर, गोपनीय विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 07,02,855.00 (रुपए सात लाख दो हजार आठ सौ पचपन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

7. श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त कनिष्ठ अधीक्षक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 5,02,669.00 (रुपए पाँच लाख दो हजार छः सौ उनहत्तर मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

8. विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2022-23 हेतु निर्धारित 36 परीक्षा केंद्रों के अग्रिम प्रदाय राशि रु. 7,05,000/- (सात लाख पाँच हजार मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय आदेश क्र. 39/विकास/सु.व्य./22 दिनांक 18.01.2022 के तहत सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म **New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp.Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur** का कार्यकाल दिनांक 31/12/2022 को समाप्त होने एवं फर्म का कार्य संतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों के अधीन दिनांक 01/01/2023 से 31/12/2023 तक 01 वर्ष के लिए कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।

10. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय आदेश क्र. 37/विकास/सफाई व्य./2022 दिनांक 18.01.2022 के तहत परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म **New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp.Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur** का कार्यकाल दिनांक 31/12/2022 को समाप्त होने एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों के अधीन दिनांक 01/01/2023 से 31/12/2023 तक 01 वर्ष के लिए कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 15.12.2022 की अनुशंसानुसार अस्थाई मान्यता प्रदान करने हेतु संशोधित विनियम 107 की कंडिका 08 के प्रावधान के अनुरूप करने का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.01.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-17/2022/38-2 दिनांक 27.12.2022 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 197- Four Year Undergraduate Program (FYUP), (Choice Based Credit System Semester Scheme in the Undergraduate Program) माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित को अंगीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: नवीन **Ordinance No. 197- Four Year Undergraduate Program (FYUP), (Choice Based Credit System Semester Scheme in the Undergraduate Program)** को अंगीकृत किया गया।

3. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 में पारित, माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमोदित नवीन अध्यादेश क्रमांक-197 की कंडिका 5(5.1)(iii) "Actual credits in each semester may vary as per Appendix-I. The detailed structure of UGCF courses with credit shall be notified by the Univeristy through the Regulation from time to time." के अनुक्रम में तैयार नवीन विनियम क्र. 201 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: नवीन विनियम क्रमांक-201 (**The regulation specifies the structure of UGCF courses, credit point and other miscellaneous provisions under the Ordinance No. 197**) का अनुमोदन किया गया।

मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. विश्वविद्यालय के विनियम क्रमांक 184 के अंतर्गत नवीन विनियम 'मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि' के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विनियम क्रमांक-184-B 'मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि' का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. MS Office Pro Plus 2021 Software क्रय देयक राशि रु. 20,06,000/- (रुपए बीस लाख छः हजार मात्र) भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: Microsoft के **Authorised Partner M/s Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.)** फर्म के द्वारा 200 नग Microsoft Software Licence आपूर्ति करने के पश्चात् देयक क्र. 701 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा रु. 20,06,000/- (रुपए बीस लाख छः हजार मात्र) का भुगतान की सूचना ग्रहण की गई।



6. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए कारपेट, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय किए जाने छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से 2 प्रदेश स्तरीय एवं 2 राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

7. सत्र 2022-23 के लिए कार्यालयीन उपयोग हेतु स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु अनुमानित व्यय रु. 20=00 लाख (रुपए बीस लाख मात्र) की निविदा छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु अनुमानित व्यय रु. 20=00 लाख (रुपए बीस लाख मात्र) Examination & Evaluation Administration (2) (a) Stationery & Printing (including Degree & Exam मद से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

8. University Examination-Results Automation कार्य की निविदा सूचना छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से 02 प्रदेश-स्तरीय एवं 02 राष्ट्रीय-स्तरीय बहुप्रसारित समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई कार्यवाही की सूचना माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: University Examination-Results Automation संबंधी कार्य किए जा रहे कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

9. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा हेतु लगाए गए 117 नग सी.सी.टी.वी. कैमरा मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु राशि रु. 10,19,588=00 (रुपए दस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ अठ्यासी मात्र) व्यय की स्वीकृति एवं प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय रु. 1,65,672=00 (रुपए एक लाख पैंसठ हजार छः सौ बहत्तर मात्र) की स्वीकृति विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. (1) हाई मास्ट एल.ई.डी. लाईट मेसर्स डी.एल. झा को देयक रु. रु. 10,83,128.00 (रुपए दस लाख तिरासी हजार एक सौ अठाईस मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति विचारार्थ प्रस्तुत।
(2) हाई मास्ट एल.ई.डी. लाईट लगाने बजट पुनर्नियोजन कर रु. 43,32,512/- (रुपए तिरालीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ खुली निविदा आमंत्रण करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

11. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों की वार्षिक रखरखाव हेतु कार्यपरिषद् से पूर्व स्वीकृत राशि रु. 35,59,548/- (रुपए पैंतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अड़तालीस मात्र) में से 50% शेष राशि रु. 17,79,744/- (सत्रह लाख उन्यासी हजार सात सौ चौवालीस मात्र) सहायक संचालक, उद्यान, रायपुर को भुगतान की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

12. विश्वविद्यालय की सड़कों के किनारे पेवर ब्लॉक लगाने बजट सत्र 2022-23 की 3(b) M&R To Roads की शेष राशि रु. 30 लाख के अंतर्गत व्यय किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: द्वितीय न्यूनतम निविदा दर @22.13% एस.ओ.आर. से कम फर्म मे. संस्कृति इंफ्रास्ट्रकचर, रायपुर से न्यूनतम दर पर विश्वविद्यालय की सड़कों के किनारे पेवर ब्लॉक लगाने बजट सत्र 2022-23 की 3(b) M&R To Roads की शेष राशि रु. 30 लाख के अंतर्गत व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

13. रुसा परियोजना अंतर्गत प्रेक्षागृह के रिनोवेशन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रदत्त राशि रु. 50 लाख के उपयोग सड़क डामरीकरण के लिए किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

14. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों की वर्ष 2022-23 में रख-रखाव हेतु प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सहायक संचालक उद्यान, रायपुर के प्राप्त प्रस्ताव पत्र क्रमांक/उद्यान/ लेखा/22-23 265 दिनांक 10.08.2022 में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से रेल्वे रिजर्वेशन काउंटर, कला भवन के सामने, भू-गर्भशास्त्र विभाग भवन के सामने विकसित उद्यानों को वर्ष 2022-23 में रख-रखाव करने प्राप्त प्राक्कलन का अनुमोदन कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 38/यात्रिकी/2022 दिनांक 16.11.2022 द्वारा राशि रु. 14,35,813/- (रुपए चौदह लाख पैंतीस हजार आठ सौ तेरह मात्र) स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत राशि की अनुपातिक राशि रु. 6,36,480/- की कटौती कर शेष राशि रु. 7,99,333/- (रुपए सात लाख नियांनबे हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) Engg.unit 2 के Garden maint. हेतु स्वीकृत बजट मद से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

15. विश्वविद्यालय परिसर के भवनों की बाह्य पोताई हेतु बजट वर्ष 2022-23 में राशि रु. 29.00 लाख (Central Modular Kitchen से Campus Beautification Head में) पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में विचार करना

निर्णय: विश्वविद्यालय के बजट वर्ष 2022-23 के Engg-Unit मद क्र. (10) Campus Beautification में प्रावधानित राशि रु. 30.00 लाख (रु. तीस लाख) में मात्र रु. 10.00 लाख (रु. दस लाख) शेष है, अतः अनुबंधित कार्य की पूर्णता हेतु Engg-Unit के बजट मद क्र. B/14-Central Modular Kitchen में प्रावधान राशि रु. 200.00 लाख में से बजट मद क्र.(10) Campus Beautification में रु. 29.00 लाख पुनर्नियोजन की स्वीकृति तथा पूरक कार्य की कार्यपूर्णता समयावधि दिनांक 18 मार्च 2023 तक वृद्धि करने स्वीकृति प्रदान की गई।

16. विश्वविद्यालय परिसर की सड़कों के डामरीकरण हेतु बजट पुनर्नियोजन राशि रु. 60.00 लाख बजट मद Central Modular Kitchen से M&R To Road मद में करने पर विचार करना

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर के कार्यालयीन, आवासीय भवनों के आंतरिक मार्ग सुधार कार्य आवश्यकता अनुसार शेष डामरीकरण हेतु Engineering Unit के बजट मद क्र.-14 Central Modular Kitchen में प्रावधानित राशि रु. 200.00 लाख के बजट मद से 3(b) M&R To Roads में राशि रु. 60.00 लाख (रु.साठ लाख मात्र) की बजट पुनर्नियोजन एवं अनुमानित प्राक्कलन अंतर्गत भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदा आमंत्रण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. पी-एच.डी./एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयीन अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों (जिन्हें यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है) को दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदाय किए जाने के संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. 542/92/आउशि/वि.वि.अनु./2022, दिनांक 19.10.2022 एवं पत्र क्र. 678/92/आउशि/वि.वि.अनु./2022, दिनांक 12.12.2022 के अनुक्रम में मूलभूत नियम 27 के अनुसार स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक उपाधियों (पी-एच.डी., डी.एस.सी. डी.लिट्.) अर्जित करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने के प्रकरण पर विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: पी-एच.डी./एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयीन अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों (जिन्हें यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है) को दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदाय किए जाने के संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. 542/92/आउशि/वि.वि.अनु./2022, दिनांक 19.10.2022 एवं पत्र क्र. 678/92/आउशि/वि.वि.अनु./2022, दिनांक 12.12.2022 के अनुक्रम में मूलभूत नियम 27 के अनुसार स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक उपाधियों (पी-एच.डी., डी.एस.सी. डी.लिट्.) अर्जित करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने का अनुमोदन किया गया।



18. डॉ. शैलेंद्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान को Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers Department of Pharmaceuticals, Shastri Bhawan, New Delhi के आदेश क्रमांक F.No. 56013/03/2020-NIPER Dated: 16 December, 2022 के द्वारा डॉ. शैलेंद्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को Director, national Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER), Ahmedabad के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप उनके आवेदन दिनांक 26.12.2022 के अनुक्रम में दिनांक 11.01.2023 से प्रोफेसर के पद पर 05 वर्ष की धारणाधिकार स्वीकृत करने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्वीकृत प्रदान की गई।

19. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के आदेश क्रमांक 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2015 के द्वारा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं समकक्षीय पदों के लिए पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान के अनुरूप Ordinance No. 58 (Revised) "Scale of pay for Teachers of the University" में संशोधन करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

20. श्री सुरेश यादव, फोटोग्राफर (संविदा) को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 703/223/आउशि/ 2021 के परिपालन में दिनांक 26.02.2021 से एक वर्ष के लिए पुनःश्च छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 9-3/2022/38-2, दिनांक 26.04.2022 में प्राप्त अनुमति अनुसार पेंशन माइनस वेतन आधार पर दिनांक 27.02.2023 से 26.02.2024 तक एक वर्ष हेतु पुनः संविदा अवधि में वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

21. 06 विदेशी ई-शोध पत्रिकाओं के क्रय किए जाने अनुमानित व्यय रु. 9,73,418=76 (नौ लाख तिरहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह रुपए छिहत्तर पैसे मात्र) (परिवर्तनीय) विभागीय एवं केंद्रीय क्रय समिति के अनुशंसा के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: 06 विदेशी ई-शोध पत्रिकाओं के क्रय किए जाने अनुमानित व्यय रु. 9,73,418=76 (नौ लाख तिरहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह रुपए छिहत्तर पैसे मात्र) (परिवर्तनीय) निम्नलिखित फर्म से क्रय किए जाने निम्नानुसार अनुमोदन किया गया -

| क्र. | फर्म | ई-शोध पत्रिकाओं की संख्या | भुगतान किए जाने वाली राशि |
|------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Total Library Solutions, (1) Pvt. Ltd., New Delhi | 03 | 323836.5 |
| 2 | Infokart India Pvt. Ltd., New Delhi | 03 | 649582.26 |
| | कुल | 06 | 973418.76 |

गणित अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि में से विभागीय अधिकारी द्वारा रु. 1000/- (रुपए एक हजार मात्र) तक खर्च करने के स्थान पर रु. 2000/- (रुपए दो हजार मात्र) तक खर्च करने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि में से विभागीय अधिकारी द्वारा रु. 1000/- (रुपए एक हजार मात्र) तक खर्च करने के संबंध में विचारोपरांत रु. 3000/- (रुपए तीन हजार मात्र) तक खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

फार्मसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. फार्मसी संस्थान में 07 मॉड्यूलर लैब निर्माण हेतु संस्थान के बजट मद 2022-23 मद संख्या 5 फर्नीचर एवं फिक्चर में से अनुमानित राशि रु. 48.00 लाख (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: फार्मसी संस्थान में 07 मॉड्यूलर लैब का निर्माण किए जाने हेतु अनुमानित व्यय रु. 48.00 लाख (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) विश्वविद्यालय फार्मसी संस्थान के बजट 2022-23 मद संख्या 5 फर्नीचर एवं फिक्चर में राशि रु. 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) में से निविदा के माध्यम से कार्य किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

आई.क्यू.ए.सी. सेल से प्राप्त प्रस्ताव :-

24. विश्वविद्यालय के NAAC के Fourth Cycle के आकलन और प्रत्यायन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय के NAAC के Fourth Cycle के आकलन और प्रत्यायन की प्रक्रिया को आगे जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। अतः SSR की स्वीकृति के तहत प्रत्यायन की प्रक्रिया हेतु द्वितीय किश्त एवं लॉजिस्टिक फीस कुल राशि 767000.00 (रुपए सात लाख सड़सठ हजार मात्र) ऑनलाईन पोर्टल पर नैक में दिनांक 20.02.2023 तक जमा करने के लिए निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई -

| | | |
|--|--------------------------|----------------|
| Assessment and Accreditation Fees (balance 50% of total fees) | Rs. 1,50,000/- + GST 18% | Rs. 1,77,000/- |
| Logistic Fees | Rs. 5,00,000/- + GST 18% | Rs. 5,90,000/- |
| | Total | Rs. 7,67,000/- |


गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-


25. पी-एच.डी. उपाधि के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विभिन्न संकायों में पी-एच.डी. हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.10.2022 से 03.01.2023 (अधिसूचना क्रमांक 3677 से 3720 तक) कुल 43 शोधार्थियों को पी-एच.डी. उपाधि करने की अधिसूचना का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया।

| | |
|----------------------|---|
| कला संकाय | - हिंदी-04, ग्रंथालय एवं सूचनाविज्ञान-02, अंग्रेजी-05 |
| सामाजिकविज्ञान संकाय | - समाजशास्त्र-03, इतिहास-04, राजनीतिविज्ञान-03, अर्थशास्त्र-05, मनोविज्ञान-01, प्रा.भा. इतिहास एवं पुरातत्व-01, |
| वाणिज्य संकाय | - वाणिज्य-03 |
| गृहविज्ञान संकाय | - गृहविज्ञान-03 |
| शारीरिक शिक्षा संकाय | - शारीरिक शिक्षा-01 |
| विज्ञान संकाय | - गणित-01, भौतिकी-01, रसायन-05, भूगोल-02, |
| जीवविज्ञान संकाय | - वनस्पतिशास्त्र-01 |
| टेक्नॉलॉजी संकाय | - फार्मसी-01 |

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



प्रभारी कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 953 /अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 09/01/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)

// संक्षेपिका //


विषय:-अवकाश नियमों के विपरीत आदेश तथा एक ही तथ्य के लिए तीन दण्ड से दण्डित करने विषयक अपील अभ्यावेदन- डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक ।

1. वि.वि. की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.07.2008 में डॉ. देशमुख, सहायक प्राध्यापक के प्रकरण बिंदु क्रमांक 23 में लिया गया निर्णय निम्नानुसार है:-
 "निर्णय लिया गया कि जितनी अवधि वे संस्थान से अनुपस्थित रहे हैं उस अवधि को बिना वेतन अवकाश माना जाय। अनुपस्थिति के कारण इनकी सेवा में यह अवधि सेवा भंग काल (Period of break in service) माना जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी दो वेतन वृद्धि रोकी जाय और इन्हें कार्य पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाय।"
2. वि.वि. की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2008 में लिये गये निर्णय अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 382/सा.प्रशा./2008 दिनांक 06.02.2008 उन्हें पत्र प्रेषित करते हुए 15 दिनों के अंदर अपने कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। अन्यथा की स्थिति में सेवा समाप्त करने संबंधी कठोर कार्यवाही की सूचना दी गई थी।
3. वि.वि. की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.07.2008 लिए गए निर्णयानुसार इस कार्यालय से निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया गया:-
 आदेश क्रमांक 2892/सा.प्रशा./2008 दिनांक 03.11.2008 के द्वारा डॉ. देशमुख को दिनांक 03.11.2007 से 07.05.2008 तक कुल 187 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। डॉ. जी. के. देशमुख के उपरोक्त दिवसों की अनुपस्थिति के कारण इनकी सेवा में यह अवधि सेवा भंग काल मान्य किया गया है, तथा इनकी आगामी दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई है। डॉ. जी. के. देशमुख, व्याख्याता के अवकाश प्रकरण का निराकरण हो जाने के कारण इनके रोके गए वेतन का भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
1. विषयांतर्गत राज्यपाल के अवर सचिव का पत्र क्रमांक 8989/7525/2016/रास/यू-1 रायपुर, दिनांक 20.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 842/7525/2016/रास/यू-1 रायपुर, दिनांक 31.01.2023 वि.वि. को दिनांक 06.02.2023 को वि.वि. को प्राप्त हुआ है। डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक द्वारा "अवकाश नियमों के विपरीत आदेश तथा एक ही तथ्य के लिए तीन दण्ड से दण्डित करने विषयक अपील" संबंधी अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है।
2. राजभवन से वि.वि. को प्राप्त पत्र में निम्नानुसार उल्लेखित है:-
 डॉ. जी. के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन दिनांक 06.06.2022 का अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत तथा विधिक सलाहकार से प्राप्त अभिमत अनुसार डॉ. देशमुख का अपील अभ्यावेदन स्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप डॉ. देशमुख को अधिरोपित दण्ड सेवाभंग काल (दिनांक 03.11.2007से 07.05.2008) एवं दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दीर्घ शास्ति है, जो विभागीय जाँच किये बिना अधिरोपित की गई है।

3. पूर्व में वि.वि. द्वारा डॉ. जी. के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक के प्रकरण पर राजभवन को पत्र क्रमांक 315/स्था./सा.प्रशा./2017 रायपुर दिनांक 20.01.2017 एवं पत्र क्रमांक 734/स्था./सा.प्रशा./2017 रायपुर दिनांक 20.02.2017 प्रेषित किया जा चुका है।

पुनः डॉ. जी. के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक के अभ्यावेदन पर राज्यपाल के अवर सचिव का पत्र क्रमांक 8989/7525/2016/रास/यू-1 रायपुर, दिनांक 20.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 842/7525/2016/रास/यू-1 रायपुर, दिनांक 31.01.2023 पर अभिमत सहित तथ्यात्मक प्रतिवेदन राजभवन को भेजा जाना है।

तदनुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।



सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

// संक्षेपिका //

विषय:—डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि के संबंध में ।

1. स्वास्थ्य अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु 62 (दिनांक 06.07.2022) से 65 वर्ष में वृद्धि के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.10.2021 के बिंदु क्रमांक 15 में निर्णय लिया गया कि "इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियम के संदर्भ में शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त किया जावे ।" तदनुसार उच्च शिक्षा विभाग को पूर्व में वि.वि. द्वारा पत्र क्रमांक 669/स्था./सा.प्रशा./2021 रायपुर, दिनांक 15.02.2021 एवं पत्र क्रमांक 1912/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर दिनांक 05.05.2022 सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को प्रेषित किया गया ।
2. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 289/156/2021/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 29.07.2021 वि.वि. को प्राप्त हुआ। पत्र में छ.ग. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण(राजपत्रित) सेवा के सदस्यों हेतु वित्त विभाग के वित्त निर्देश 50/2013 अनुसार कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। वि.वि. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.06.2022 में प्रकरण रखा गया एवं कार्यवृत्त के बिंदु क्रमांक 18 में निर्णय लिया गया कि "राज्य शासन के वित्त निर्देश 50/2013 पत्र क्रमांक को अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन विशेष परिस्थिति के रूप में किया जो राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के अधीन होगा" ।
3. तत्संबंध में वि.वि. द्वारा आदेश क्रमांक 2365/सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 17.06.2022 के माध्यम से डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष वृद्धि किए जाने का आदेश वि.वि. द्वारा प्रसारित किया गया ।
4. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-38/2022/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 10.01.2023 के अनुसार डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी की अधिवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव पर उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, छ.ग. शासन द्वारा असहमति व्यक्त किए जाने पर शासन के निर्देश के परिपालन में एवं माननीय कार्यपरिषद में प्रकरण रखे जाने की प्रत्याशा में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 2365/सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 17.06.2022 को वि. वि. द्वारा आदेश क्रमांक 394/सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 27.01.2023 जारी कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया ।
5. डॉ एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी की अधिवार्षिकी के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश क्रमांक 394/सा.प्रशा./2023 रायपुर दिनांक 27.01.2023 को वि.वि. के आदेश क्रमांक 539/सा.प्रशा./2023 रायपुर दिनांक 07.02.2023 के द्वारा तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया ।
6. डॉ. एस.एस.अग्रवाल द्वारा उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक WP(S) 1129/2023 दायर किया गया है।
7. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 289/156/2021/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 29.07.2021 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-38/2022/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 10.01.2023 आपस में विरोधाभासी है।

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रकरण अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।


सहा. कुलसचिव (प्रशासन)

8



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

12

दूरभाष : 0771-2262802 (अका.) 0771-2262540 (कुलसचिव) फ़ैक्स -0771-2262811,2262607

क्रमांक 7331/अका./शोध/2018

रायपुर, दिनांक 12.10.2018

— आदेश —

हिन्दी शोध उपाधि समिति की दिनांक 04.08.2018 की अनुशंसा एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.09.2018 के निर्णयानुसार संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय, कुरुद जिला- धमतरी को हिन्दी विषय में 02 वर्ष के लिये अस्थाई रूप से शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,

विशेष कर्तव्यस्थ अधी० (अका.)

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018

पृ० क्रमांक 7332/अका./शोध/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय, कुरुद जिला- धमतरी, छ.ग.।
2. उपकुलसचिव, गोपनीय विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

12/10/18



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बहत्तरवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 17.02.2023 को अपराहन 03.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.02.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृ. क्र. 01 से 04 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. स्व. श्री निर्मल कुमार अग्रवाल, कनिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग का आकस्मिक निधन पश्चात् सी. पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,96,304.00 (रुपए पाँच लाख छियानबे हजार तीन सौ चार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : स्व. श्री निर्मल कुमार अग्रवाल, कनिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग का आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 5,96,304.00 (रुपए पाँच लाख छियानबे हजार तीन सौ चार मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

3. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के वेतन अंतर के 5वीं किस्त के एरियर्स राशि भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : 1. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश 29/2022 पत्र क्रमांक 2135/एफ-01002199/एल-11-2/ब-4/चार अटल नगर, दिनांक 04.11.2022 के अनुसार विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के पाँचवे किस्त के एरियर्स की राशि माह सितम्बर-2018 तक कुल 05 माह का भुगतान किया जाना है।

2. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को सितम्बर-2017 से जनवरी-2018 के एरियर्स का भुगतान किया जाना है।

3. कुल भुगतान किए जाने वाले एरियर्स की भुगतान कुल राशि रु. 7,47,791/- (रुपए सात लाख सैंतालिस हजार सात सौ इंक्यानबे मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति वित्तीय सत्र 2022-23 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन हेतु संकायाध्यक्षों में से तीन सदस्य के मनोनयन पर विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति वित्तीय सत्र 2022-23 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन हेतु संकायाध्यक्षों की सूची में से किन्ही तीन संकायाध्यक्षों का मनोनयन किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

5. डॉ. एच.डी. दीवान, सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी, भू-विज्ञान अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 15,51,312.00 (रूपए पंद्रह लाख इंक्यावन हजार तीन सौ बारह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

- टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 250/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 19.01.2023 से डॉ. एच.डी. दीवान, सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी को कुल 240 दिन के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
2. डॉ. एच.डी. दीवान, सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रु. रूपए 15,51,312.00 (रूपए पंद्रह लाख इंक्यावन हजार तीन सौ बारह मात्र) का भुगतान किया जाना है।
3. विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को अंगीकृत कर भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. तकनीकी अधिकारियों डॉ. सी.आर. रात्रे, डॉ. रोमन सिंह केराम, डॉ. सुजीत कुमार को तृतीय समयमान के एरियर्स राशि रु. 18,73,602/- (रूपए अट्ठारह लाख तिहत्तर हजार छः सौ दो मात्र) का कटौती सहित किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

- टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 4263/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 16.11.2022 के परिपालन में डॉ. सी.आर. रात्रे, डॉ. रोमन सिंह केराम, डॉ. सुजीत कुमार को संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय संपरीक्षा, अटल नगर, नवा रायपुर से अंतिम रूप से वेतन निर्धारण पारित होने के उपरांत संशोधित वेतन निर्धारण स्वीकृत किया गया। (आदेश की प्रति संलग्न)
2. डॉ. सी.आर. रात्रे, डॉ. रोमन सिंह केराम, डॉ. सुजीत कुमार को निम्नानुसार राशि का भुगतान किया गया -

| क्र. | अधिकारी का नाम | एरियर्स कुल राशि | सी.पी.एफ. की कटौती | आयकर की कटौती | भुगतान योग्य राशि |
|------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1. | डॉ. सी.आर. रात्रे | 6,38,016 | 76,562 | 1,91,405 | 3,70,049 |
| 2. | रोमन सिंह केराम | 6,38,016 | 76,562 | 1,91,405 | 3,70,049 |
| 3. | डॉ. सुजीत कुमार | 5,97,570 | 71,708 | 1,79,271 | 3,46,591 |
| योग | | 18,73,602 | 2,24,832 | 5,62,081 | 10,86,689 |

उक्तानुसार कुल राशि रु. 18,73,602/- (रूपए अट्ठारह लाख तिहत्तर हजार छः सौ दो मात्र) का कटौती सहित का भुगतान किया गया।

3. विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को अंगीकृत किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
7. विश्वविद्यालय से संबद्ध 79 महाविद्यालयों को वार्षिक परीक्षा 2022-23 के संचालन हेतु भेजे जाने वाले अग्रिम राशि रु. 84,35,000=00 (रूपए चौरासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय से संबद्ध 79 महाविद्यालयों को वार्षिक परीक्षा 2022-23 के संचालन हेतु भेजे जाने वाले अग्रिम राशि रु. 84,35,000=00 (रूपए चौरासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, रायपुर में विभागाध्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।
टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ प्राप्त दर के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।
टीप : केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार फर्म Arvind Publication, Udaipur से भारतीय प्रकाशन की पुस्तकें 32.56% छूट दर पर एवं Techniz Books International, New Delhi, से विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें 46.35% छूट दर पर क्रय किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य 2022-23 देयक राशि रु. 2,35,78,418=00 (रुपए दो करोड़ पैंतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह मात्र) का पुनर्विनियोजन कर भुगतान के संबंध में विचार करना।
टीप : वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए अनुबंधित फर्म National Co-Operative Consumers Fed. of India Ltd. Ministry of Consumer Affairs, Govt. of India) Adarsh Nagar, Kanke Road, Ranchi के द्वारा राशि रु. 2,35,78,418=00 (रुपए दो करोड़ पैंतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह मात्र) देयक प्रस्तुत किया गया है। उक्त राशि का भुगतान Result Processing में अद्यतन 70.00 लाख (रुपए सत्तर लाख मात्र) शेष है एवं प्रस्तावित बजट (B) Eng. Unit (14) Central Moduler Kithcen के शेष रुपए 140.00 लाख (रुपए एक करोड़ चालीस लाख मात्र) F. Exam Result Processing मद में एवं B Eng. Unit के (23) concealed wiring के मद से रु. 26.00 लाख (F) Exam Result Processing मद में पुनर्विनियोजित कर भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

S. Patel
13/2/23
कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 1314/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023

रायपुर, दिनांक 16/02/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 16.02.2023 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

| | | |
|---|---|---------|
| 1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति | — | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. शैल शर्मा | — | सदस्य |
| 3. डॉ. व्यास दुबे | — | सदस्य |
| 4. डॉ. मधुलिका अग्रवाल | — | सदस्य |
| 5. डॉ. राजीव चौधरी | — | सदस्य |
| 6. डॉ. संजय जे. डहरवाल | — | सदस्य |
| 7. डॉ. संजय कुमार | — | सदस्य |
| 8. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव (प्रभारी) | — | सचिव |

कार्यवृत्त

01. विद्या-परिषद् के स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.01.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

| क्र. | महाविद्यालय का नाम | कक्षा/विषय | छात्र संख्या | सत्र |
|---|--|--|--------------|---------|
| (i) | शास. महाविद्यालय, कंडेल, जिला-धमतरी | B.Sc.-II-Bio Group -(FC- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry | 45 | 2022-23 |
| | | B.Sc.-II-Maths Group-(FC- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics | 45 | |
| | | B.A.-II- (FC- Hindi, English), Political Science, Economics, Sociology | 90 | |
| | | B.Com.-II- All Compulsory Subject | 90 | |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। | | | | |
| क्र. | महाविद्यालय का नाम | कक्षा/विषय | छात्र संख्या | सत्र |
| (ii) | शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर | B.Sc.-I- Bio Group- Geology, Chemistry, Zoology | 30 | 2022-23 |
| | | B.Sc.-I- Maths Group- Physics, Chemistry, Maths | 50 | |
| | | B.Sc.-I- Maths Group- Geology, Maths, Physics | 30 | |
| | | B.Com.-I | 50 | |
| | | B.Com. (Computer Application) | 50 | |
| | | B.C.A.-I | 50 | |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। | | | | |

| क्र. | महाविद्यालय का नाम | कक्षा / विषय | छात्र संख्या | सत्र |
|--|---|---|--------------|---------|
| (iii) | शासकीय राजीवलोचन स्नातकोत्तर महावि. राजिम, जिला-गरियाबंद | P.G. Diploma in Yoga Education and Philosophy (Under Self Finance) | 40 | 2022-23 |
| | | M.S.W. I/II Sem. (Under Self Finance) | 30 | |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। | | | | |
| क्र. | महाविद्यालय का नाम | कक्षा / विषय | छात्र संख्या | सत्र |
| (iv) | विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर | B.B.A.-III | 40 | 2022-23 |
| | | M.Com.- (Final year) III/IV Sem. | 30 | |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। | | | | |
| क्र. | महाविद्यालय का नाम | कक्षा / विषय | छात्र संख्या | सत्र |
| (v) | शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर | M.A. I/II Sem. Psychology | 20 | 2022-23 |
| | | M.Sc. Botany I/II Sem | 20 | |
| | | B.Sc.-I Computer Sc. | 40 | |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। | | | | |
| क्र. | महाविद्यालय का नाम | कक्षा / विषय | छात्र संख्या | सत्र |
| (vi) | श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, मुजगहन, सेजबहार, जिला-रायपुर | B.Sc.-II- Bio. (Botany, Zoology, Chemistry) | 40 | 2022-23 |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। इंडोमेंट फंड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

04. बी.सी.ए. पाठ्यक्रम को अध्यादेश क्रमांक 197- Four Year Undergraduate Program (FYUP) (CBCS Scheme in the Undergraduate Program) में समाहित करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: बी.सी.ए. पाठ्यक्रम को अध्यादेश क्रमांक 197- Four Year Undergraduate Program (FYUP) (CBCS Scheme in the Undergraduate Program) में समाहित करने के संबंध में संबंधित नियामक संस्था से दिशा-निर्देश प्राप्त करने की अनुशंसा की गई।

05. गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को B.A.L.L.B.-IV Year- Integrated Course (Five Year) सत्र 2017-18 एवं B.A.L.L.B.-V Year- Integrated Course (Five Year) सत्र 2018-19 में निम्नानुसार कक्षा/विषय की जारी की गई संबद्धता आदेश क्रमांक 1143 दिनांक 24.01.2023 की सूचना ग्रहण करना -

| क्र. | कक्षा/विषय | छात्र संख्या | सत्र |
|------|---|--------------|---------|
| 1. | B.A.L.L.B.-IV Year- Integrated Course (Five Year) | 60 | 2017-18 |
| 2. | B.A.L.L.B.-V Year- Integrated Course (Five Year) | 60 | 2018-19 |

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

06. निम्नलिखित महाविद्यालयों को जारी की गई वार्षिक संबद्धता आदेश की सूचना ग्रहण करना-

| क्र. | महाविद्यालय का नाम | सत्र | विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश |
|------|--|---------------------|---------------------------------|
| 1. | स्व. दौलतराम शर्मा, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कसडोल, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा | 2020-21 एवं 2021-22 | क्रमांक 2524, दिनांक 27.08.2021 |
| 2. | वंदेमातरम् महाविद्यालय, पुराना नूतन स्कूल के पास, गणेश चौक, धमतरी | 2022-23 | क्रमांक 1155 दिनांक 27.01.2023 |

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

07. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के एम.एस-सी. अंतिम भू-विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सत्र 2023-24 से 'उमेशीला स्वर्ण-पदक' प्रदान करने हेतु नवीन विनियम की अनुशंसा करना।

निर्णय: दानदाता प्रोफेसर उमेश चंद्र सिंह, 404, मिलेनियम प्लाजा, यूनिवर्सिटी रोड, गोविंदपुरी, ग्वालियर - 474011 द्वारा 'उमेशीला स्वर्ण-पदक' (UMESHEELA GOLD MEDAL) के नाम से सत्र 2023-24 से एम.एस-सी. भू-विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित विनियम क्रमांक-202 की अनुशंसा की गई।

08. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2022-23 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

| क्रमांक | शासकीय महाविद्यालय |
|---------|---|
| 1 | शास. नवीन महा. चिरको, जिला-महासमुंद |
| 2 | शास. गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महा. भाटापारा 493118 |
| 3 | शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.) पिन कोड-493773 |
| 4 | बाबू पंढरी राव कृदत्त शास. नवीन महाविद्यालय, सिलौटी, जिला-धमतरी (2020-21) |
| 5 | शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, रायपुर (2020-21) |
| क्रमांक | अशासकीय महाविद्यालय |
| 1 | बी.आई.टी. कॉलेज ऑफ कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्ट्स, अभनपुर रोड, केन्द्री, नया रायपुर (2021-22) |


निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. दिनांक 09.02.2023 को प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय, जी-जामगांव, जिला-धमतरी को विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 में बिंदु क्रमांक 02(i) में लिए गए निर्णयानुसार बी.ए. कक्षा/विषय के लिए की गई 100 सीट (सीट वृद्धि) की अनुशंसा की गई थी जिसे पुनः प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार 100 सीट को संशोधित करते हुए 70 सीट (सीट वृद्धि) किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: 70 सीट (संशोधित सीट) की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


प्रभारी कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 1315/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 16/02/2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अप्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बहत्तरवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 17.02.2023 को अपराहन 03.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.02.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृ. क्र. 01 से 04 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. स्व. श्री निर्मल कुमार अग्रवाल, कनिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग का आकस्मिक निधन पश्चात् सी. पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,96,304.00 (रुपए पाँच लाख छियानबे हजार तीन सौ चार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : स्व. श्री निर्मल कुमार अग्रवाल, कनिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग का आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 5,96,304.00 (रुपए पाँच लाख छियानबे हजार तीन सौ चार मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

3. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के वेतन अंतर के 5वीं किस्त के एरियर्स राशि भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : 1. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश 29/2022 पत्र क्रमांक 2135/एफ-01002199/एल-11-2/ब-4/चार अटल नगर, दिनांक 04.11.2022 के अनुसार विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के पाँचवे किस्त के एरियर्स की राशि माह सितम्बर-2018 तक कुल 05 माह का भुगतान किया जाना है।

2. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को सितम्बर-2017 से जनवरी-2018 के एरियर्स का भुगतान किया जाना है।

3. कुल भुगतान किए जाने वाले एरियर्स की भुगतान कुल राशि रु. 7,47,791/- (रुपए सात लाख सैंतालिस हजार सात सौ इंक्यानबे मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति वित्तीय सत्र 2022-23 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन हेतु संकायाध्यक्षों में से तीन सदस्य के मनोनयन पर विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति वित्तीय सत्र 2022-23 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन हेतु संकायाध्यक्षों की सूची में से किन्ही तीन संकायाध्यक्षों का मनोनयन किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

5. डॉ. एच.डी. दीवान, सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी, भू-विज्ञान अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 15,51,312.00 (रूपए पंद्रह लाख इंक्यावन हजार तीन सौ बारह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

- टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 250/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 19.01.2023 से डॉ. एच.डी. दीवान, सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी को कुल 240 दिन के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
2. डॉ. एच.डी. दीवान, सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रु. रूपए 15,51,312.00 (रूपए पंद्रह लाख इंक्यावन हजार तीन सौ बारह मात्र) का भुगतान किया जाना है।
3. विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को अंगीकृत कर भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. तकनीकी अधिकारियों डॉ. सी.आर. रात्रे, डॉ. रोमन सिंह केराम, डॉ. सुजीत कुमार को तृतीय समयमान के एरियर्स राशि रु. 18,73,602/- (रूपए अट्ठारह लाख तिहत्तर हजार छः सौ दो मात्र) का कटौती सहित किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

- टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 4263/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 16.11.2022 के परिपालन में डॉ. सी.आर. रात्रे, डॉ. रोमन सिंह केराम, डॉ. सुजीत कुमार को संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय संपरीक्षा, अटल नगर, नवा रायपुर से अंतिम रूप से वेतन निर्धारण पारित होने के उपरांत संशोधित वेतन निर्धारण स्वीकृत किया गया। (आदेश की प्रति संलग्न)
2. डॉ. सी.आर. रात्रे, डॉ. रोमन सिंह केराम, डॉ. सुजीत कुमार को निम्नानुसार राशि का भुगतान किया गया -

| क्र. | अधिकारी का नाम | एरियर्स कुल राशि | सी.पी.एफ. की कटौती | आयकर की कटौती | भुगतान योग्य राशि |
|------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1. | डॉ. सी.आर. रात्रे | 6,38,016 | 76,562 | 1,91,405 | 3,70,049 |
| 2. | रोमन सिंह केराम | 6,38,016 | 76,562 | 1,91,405 | 3,70,049 |
| 3. | डॉ. सुजीत कुमार | 5,97,570 | 71,708 | 1,79,271 | 3,46,591 |
| योग | | 18,73,602 | 2,24,832 | 5,62,081 | 10,86,689 |

उक्तानुसार कुल राशि रु. 18,73,602/- (रूपए अट्ठारह लाख तिहत्तर हजार छः सौ दो मात्र) का कटौती सहित का भुगतान किया गया।

3. विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को अंगीकृत किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. विश्वविद्यालय से संबद्ध 79 महाविद्यालयों को वार्षिक परीक्षा 2022-23 के संचालन हेतु भेजे जाने वाले अग्रिम राशि रु. 84,35,000=00 (रूपए चौरासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

- टीप : विश्वविद्यालय से संबद्ध 79 महाविद्यालयों को वार्षिक परीक्षा 2022-23 के संचालन हेतु भेजे जाने वाले अग्रिम राशि रु. 84,35,000=00 (रूपए चौरासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, रायपुर में विभागाध्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ प्राप्त दर के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

टीप : केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार फर्म Arvind Publication, Udaipur से भारतीय प्रकाशन की पुस्तकें 32.56% छूट दर पर एवं Techniz Books International, New Delhi, से विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें 46.35% छूट दर पर क्रय किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य 2022-23 देयक राशि रु. 2,35,78,418=00 (रुपए दो करोड़ पैंतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह मात्र) का पुनर्विनियोजन कर भुगतान के संबंध में विचार करना।

टीप : वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए अनुबंधित फर्म National Co-Operative Consumers Fed. of India Ltd. Ministry of Consumer Affairs, Govt. of India) Adarsh Nagar, Kanke Road, Ranchi के द्वारा राशि रु. 2,35,78,418=00 (रुपए दो करोड़ पैंतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह मात्र) देयक प्रस्तुत किया गया है। उक्त राशि का भुगतान Result Processing में अद्यतन 70.00 लाख (रुपए सत्तर लाख मात्र) शेष है एवं प्रस्तावित बजट (B) Eng. Unit (14) Central Moduler Kithcen के शेष रुपए 140.00 लाख (रुपए एक करोड़ चालीस लाख मात्र) F. Exam Result Processing मद में एवं B Eng. Unit के (23) concealed wiring के मद से रु. 26.00 लाख (F) Exam Result Processing मद में पुनर्विनियोजित कर भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

S. Patel
13/11/23
कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 1314/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023

रायपुर, दिनांक 16/02/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 16.02.2023 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

| | | |
|---|---|---------|
| 1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. शैल शर्मा | - | सदस्य |
| 3. डॉ. व्यास दुबे | - | सदस्य |
| 4. डॉ. मधुलिका अग्रवाल | - | सदस्य |
| 5. डॉ. राजीव चौधरी | - | सदस्य |
| 6. डॉ. संजय जे. डहरवाल | - | सदस्य |
| 7. डॉ. संजय कुमार | - | सदस्य |
| 8. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव (प्रभारी) | - | सचिव |

कार्यवृत्त

01. विद्या-परिषद् के स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.01.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

| क्र. | महाविद्यालय का नाम | कक्षा/विषय | छात्र संख्या | सत्र |
|---|--|--|--------------|---------|
| (i) | शास. महाविद्यालय, कंडेल, जिला-धमतरी | B.Sc.-II-Bio Group -(FC- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry | 45 | 2022-23 |
| | | B.Sc.-II-Maths Group-(FC- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics | 45 | |
| | | B.A.-II- (FC- Hindi, English), Political Science, Economics, Sociology | 90 | |
| | | B.Com.-II- All Compulsory Subject | 90 | |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। | | | | |
| (ii) | शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर | B.Sc.-I- Bio Group- Geology, Chemistry, Zoology | 30 | 2022-23 |
| | | B.Sc.-I- Maths Group- Physics, Chemistry, Maths | 50 | |
| | | B.Sc.-I- Maths Group- Geology, Maths, Physics | 30 | |
| | | B.Com.-I | 50 | |
| | | B.Com. (Computer Application) | 50 | |
| | | B.C.A.-I | 50 | |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। | | | | |

| क्र. | महाविद्यालय का नाम | कक्षा / विषय | छात्र संख्या | सत्र |
|--|---|---|--------------|---------|
| (iii) | शासकीय राजीवलोचन स्नातकोत्तर महावि. राजिम, जिला-गरियाबंद | P.G. Diploma in Yoga Education and Philosophy (Under Self Finance) | 40 | 2022-23 |
| | | M.S.W. I/II Sem. (Under Self Finance) | 30 | |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। | | | | |
| क्र. | महाविद्यालय का नाम | कक्षा / विषय | छात्र संख्या | सत्र |
| (iv) | विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर | B.B.A.-III | 40 | 2022-23 |
| | | M.Com.- (Final year) III/IV Sem. | 30 | |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। | | | | |
| क्र. | महाविद्यालय का नाम | कक्षा / विषय | छात्र संख्या | सत्र |
| (v) | शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर | M.A. I/II Sem. Psychology | 20 | 2022-23 |
| | | M.Sc. Botany I/II Sem | 20 | |
| | | B.Sc.-I Computer Sc. | 40 | |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। | | | | |
| क्र. | महाविद्यालय का नाम | कक्षा / विषय | छात्र संख्या | सत्र |
| (vi) | श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, मुजगहन, सेजबहार, जिला-रायपुर | B.Sc.-II- Bio. (Botany, Zoology, Chemistry) | 40 | 2022-23 |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। इंडोमेंट फंड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

04. बी.सी.ए. पाठ्यक्रम को अध्यादेश क्रमांक 197- Four Year Undergraduate Program (FYUP) (CBCS Scheme in the Undergraduate Program) में समाहित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: बी.सी.ए. पाठ्यक्रम को अध्यादेश क्रमांक 197- Four Year Undergraduate Program (FYUP) (CBCS Scheme in the Undergraduate Program) में समाहित करने के संबंध में संबंधित नियामक संस्था से दिशा-निर्देश प्राप्त करने की अनुशंसा की गई।

05. गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को B.A.L.L.B.-IV Year- Integrated Course (Five Year) सत्र 2017-18 एवं B.A.L.L.B.-V Year-Integrated Course (Five Year) सत्र 2018-19 में निम्नानुसार कक्षा/विषय की जारी की गई संबद्धता आदेश क्रमांक 1143 दिनांक 24.01.2023 की सूचना ग्रहण करना -

| क्र. | कक्षा/विषय | छात्र संख्या | सत्र |
|------|---|--------------|---------|
| 1. | B.A.L.L.B.-IV Year- Integrated Course (Five Year) | 60 | 2017-18 |
| 2. | B.A.L.L.B.-V Year- Integrated Course (Five Year) | 60 | 2018-19 |

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

06. निम्नलिखित महाविद्यालयों को जारी की गई वार्षिक संबद्धता आदेश की सूचना ग्रहण करना-

| क्र. | महाविद्यालय का नाम | सत्र | विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश |
|------|--|---------------------------|---------------------------------|
| 1. | स्व. दौलतराम शर्मा, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कसडोल, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा | 2020-21 एवं 2021-22 | क्रमांक 2524, दिनांक 27.08.2021 |
| 2. | वंदेमातरम् महाविद्यालय, पुराना नूतन स्कूल के पास, गणेश चौक, धमतरी | 2022-23 | क्रमांक 1155 दिनांक 27.01.2023 |

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

07. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के एम.एस-सी. अंतिम भू-विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सत्र 2023-24 से 'उमेशीला स्वर्ण-पदक' प्रदान करने हेतु नवीन विनियम की अनुशंसा करना।

निर्णय: दानदाता प्रोफेसर उमेश चंद्र सिंह, 404, मिलेनियम प्लाजा, यूनिवर्सिटी रोड, गोविंदपुरी, ग्वालियर - 474011 द्वारा 'उमेशीला स्वर्ण-पदक' (UMESHEELA GOLD MEDAL) के नाम से सत्र 2023-24 से एम.एस-सी. भू-विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित विनियम क्रमांक-202 की अनुशंसा की गई।

08. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2022-23 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

| क्रमांक | शासकीय महाविद्यालय |
|---------|---|
| 1 | शास. नवीन महा. चिरको, जिला-महासमुंद |
| 2 | शास. गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महा. भाटापारा 493118 |
| 3 | शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.) पिन कोड-493773 |
| 4 | बाबू पंढरी राव कृदत्त शास. नवीन महाविद्यालय, सिलौटी, जिला-धमतरी (2020-21) |
| 5 | शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, रायपुर (2020-21) |
| क्रमांक | अशासकीय महाविद्यालय |
| 1 | बी.आई.टी. कॉलेज ऑफ कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्ट्स, अभनपुर रोड, केन्द्री, नया रायपुर (2021-22) |


निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. दिनांक 09.02.2023 को प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय, जी-जामगांव, जिला-धमतरी को विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 में बिंदु क्रमांक 02(i) में लिए गए निर्णयानुसार बी.ए. कक्षा/विषय के लिए की गई 100 सीट (सीट वृद्धि) की अनुशंसा की गई थी जिसे पुनः प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार 100 सीट को संशोधित करते हुए 70 सीट (सीट वृद्धि) किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: 70 सीट (संशोधित सीट) की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


प्रभारी कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 1315/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 16/02/2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण
(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2023)

आई.क्यू.ए.सी. सेल से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. विश्वविद्यालय के NAAC के Fourth Cycle के आकलन और प्रत्यायन की प्रक्रिया हेतु द्वितीय किश्त एवं लॉजिस्टिक फीस कुल राशि 767000.00 (रुपए सात लाख सड़सठ हजार मात्र) ऑनलाईन पोर्टल पर नैक में जमा किए जाने की सूचना ग्रहण करना।

टीप: विश्वविद्यालय के NAAC के Fourth Cycle के आकलन और प्रत्यायन की प्रक्रिया हेतु द्वितीय किश्त एवं लॉजिस्टिक फीस कुल राशि 767000.00 (रुपए सात लाख सड़सठ हजार मात्र) ऑनलाईन पोर्टल पर नैक में दिनांक 17.02.2023 को जमा किया जा चुका है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. जैविकी अध्ययनशाला को आबंटित बजट में Equipment मद में प्रावधनित राशि रु. 8.00 लाख में से 4,76,000.00 मूल्य का MW 8 Active Watch device and Accessories क्रय करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : सामग्री प्रोप्राइटरी आइटम खरीदा जाना प्रस्तावित है तत्पश्चात् औचित्य सहित प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जावेगा।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के एम.एस-सी. अंतिम भू-विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सत्र 2023-24 से 'उमेशीला स्वर्ण-पदक' प्रदान करने हेतु नवीन विनियम का अनुमोदन करने पर विचार करना।

टीप : दानदाता प्रोफेसर उमेश चंद्र सिंह, 404, मिलेनियम प्लाजा, यूनिवर्सिटी रोड, गोविंदपुरी, ग्वालियर - 474011 द्वारा 'उमेशीला स्वर्ण-पदक' (UMESHEELA GOLD MEDAL) के नाम से सत्र 2023-24 से एम.एस-सी. भू-विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No./R.No. 4497/31, Dated- 06-02-2023 के द्वारा रुपए 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम क्रमांक 202 का स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.02.2023 में अनुशंसा की गई है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।